



जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड-138] जम्मू, सोमवार, 06 अक्टूबर, 2025/14 आश्विन, 1947. [सं. 28-12

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 06 अक्टूबर, 2025
आश्विन 14, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-जे&के/3/2025(1) - यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और तारीख 06 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह

सं. 28-12] जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र, 06 अक्टूबर, 2025/14 आश्विन, 1947. 2

अपेक्षा की है कि 15 फरवरी, 2021 को श्री गुलाम नबी आजाद एवं श्री नजीर अहमद लवाय की पदावधि के अवसान पर उनकी सेवानिवृत्ति के कारण राज्य सभा में हुई रिक्ति को भरने के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से उस सदन के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें ;

अतः, अब उक्त अधिनियम को धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है—

- | | |
|---|----------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | — 13 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) |
| (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | — 14 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख | — 16 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ,
तो मतदान होगा | — 24 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न
करा लिया जाएगा | — 28 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार), और |

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

ह/-

सुमन कुमार दास,
सचिव।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह/-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।